

प्रेषक,
विनोद फोनिया
सचिव
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

1-निदेशक,
पंचायतीराज निदेशालय,
उत्तराखण्ड।
3-समस्त जिलाधिकारी/प्रशासक
उत्तराखण्ड।

2-संयुक्त निदेशक,
जिला पंचायत अनुश्रवण कोषक,
पंचायतीराज निदेशालय उत्तराखण्ड।
4-अपर मुख्य अधिकारी,
समस्त, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।

पंचायती राज अनुभाग

देहरादून

दिनांक 16 जनवरी, 2014

विषय- जिला पंचायत के अन्तर्गत तैनात वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढाँचे का पुनर्गठन के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (वि0अ0-सा0नि0)अनुभाग-7, के शासनादेश संख्या-588/XXVII/(07) 27(3)/2013, दिनांक 01 जुलाई, 2013, पत्रांक-243 /जि0प0अनु0को0/ 2011-13, दिनांक 28 सितम्बर, 2013 एवं पत्र संख्या-435/जि0प0अनु0को0/स्था0/398/2010-11, दिनांक 29 मार्च, 2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसमें जिला पंचायतों के वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढाँचे का पुनर्गठन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला पंचायतों के अन्तर्गत तैनात वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढाँचे का वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-588/XXVII/(07) 27(3)/2013, दिनांक 01 जुलाई, 2013 में विहित व्यवस्था के अधीन पुनर्गठित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त व्यवस्था के अधीन होने वाले समस्त व्यय-भार जिला पंचायत द्वारा स्वयं के संसाधनों से वहन किया जायेगा। इस हेतु पृथक से कोई वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 823/XXVII (7)27(20)/2013, दिनांक 24-12-2013 के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

~~भेषुदीय~~

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्या / XII/2014/90(24)2011/2014, तददिनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय भवन माजरा रोड देहरादून।
- 2- मण्डलायुक्त, कुमायू मण्डल, नैनीताल/गढवाल मण्डल पौड़ी।
- 3- समस्त, वित्तीय परामर्शदाता जिला पंचायत उत्तराखण्ड।
- 4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जे0एल0शर्मा)
अनु सचिव

एच।एल।

संयुक्त निदेशक

20/1/2014

208
31/1/2014